



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239727
CG-DL-E-18102022-239727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 2022/आश्विन 26, 1944

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022/ASVINA 26, 1944

रक्षा मंत्रालय

(सैन्य कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

का.नि.आ.17(अ).—सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज, कल्याण, नयाचार, ज्ञान) 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) उप-खंड (ii) के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय (सैन्य कार्य विभाग), केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर एतद्वारा अधिसूचित करता है कि भारतीय थल सेना, सिग्नल महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए अरमान मोबाइल एप्लीकेशन पर पंजीकरण करते समय सैन्य कर्मियों की स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने हेतु आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

भारतीय थल सेना आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग करने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

[फा. सं. 929/ए एच सी सी/ए आर एम ए ए एन]

मेजर जनरल के नारायणन, ए वि एस एम, एस एम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
(DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S. R. O. 17(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of Aadhaar Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules 2020, The Ministry of Defence having been authorised by The Ministry of Electronics and Information Technology in consultation with Unique Identification Authority of India hereby notifies that Indian Army is allowed to utilise Aadhaar Authentication Services, on voluntary basis, to establish identity of Army personnel while registering on ARMAAN mobile application hosted by Directorate General of Signals, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army).

The Indian Army shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar Authentication Services as laid down by the Central Government.

[F. No. 929/AHCC/ARMAAN]

MAJ. GEN. K. NARAYANAN, AVSM, SM, Jt. Secy.